सूचना

समस्त एलएल0बी0 VI तथा बी0ए0एलएल0बी0 X सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके प्रयोगात्मक विषय "Moot Court, Pre Trail Preparation and Participation in Trial Proceedings" प्रस्तावित **मूट–कोर्ट समस्या–2 प्रस्तुतीकरण** परीक्षा तिथि **19 मार्च तथा 20 मार्च 2018** निश्चित है। निर्धारित तिथि को समस्त छात्र–छात्राऐं अपने समूह के अनुसार मूट समस्या की लिखित सामग्री सहित, न्यायालय के गणवेश में मूट कोर्ट में अपने–अपने पक्ष की प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित हों। प्रस्तुतिकरण परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी परीक्षा में असफल माने जायेंगे। मूट समस्या हेतु ग्रुप व अधिक जानकारी हेतु कॉलेज की वेबसाईट www.unitylawcollege.com या सम्बन्धित प्राध्यापक से सम्पर्क करें।

The memorials must contain these heads given below and have to be submitted in handwriting on legal size paper:

* Cover Page
* Table of Contents
* Index of Authorities
* Statement of Jurisdiction
* Statement of Facts
* Questions of Law
* Summary of Arguments
* Arguments Advanced,
* Prayer
*Appendix

दिनांक 14 / 03 / 2018

विषय प्राध्यापक

सागर सिंह पाटनी

MOOT PROBLEM 2

(CONSTITUTIONAL- LEGALIZING EUTHANASIA)

Mr. JAIRAM, aged 82, a retired Army officer residing in CHAMKDURI is suffering from Asthama and full Paralysis. He has been bed ridden for the past five years. He often complains that his wife and children do not take care of him though he is financially sound. Under these circumstances he approaches the Chief Medical Officer, Medical College Hospital CHAMKDURI with a request to terminate his life. The Doctor refuses to oblige him on the ground that he is not legally authorized to take away the life of a person.

Thereupon Mr. JAIRAM moves the Supreme Court of INDICA under Art32 for a direction to the Government of INDICA to bring in suitable enactment legalizing euthanasia.

श्री जयराम, उम्र 82 वर्ष, निवासी चमकदूरी, एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। जो अस्थमा एवं पूर्ण रूप से शक्तिहीन (लकवा) से त्रस्त हैं। वह विगत पाँच वर्षो से **शय्याग्रस्त (बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ)** है। उसने कई बार शिकायत की कि उसकी पत्नी एवं बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर रहे है यद्यपि वह आर्थिक रूप से सशक्त है। इन परिस्थितियों के कारण वह चमकदूरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से अपने जीवन को समाप्त कर देने की प्रार्थना के साथ मिले। परन्तु डॉक्टर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने से इंकार किया क्योंकि वह किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए विधितः प्राधिकृत नहीं है।

इसके बाद श्री जयराम ने इंडिका सरकार के विरूद्ध, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु के विधिक स्वरूप के दिशा निर्देशन एवं उपयुक्त कानून के निर्देश हेतु याचिका दायर की।

नोट – सभी छात्र/छात्राऐं अपने ग्रुप के अनुसार नियत दिनांक को प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित रहें।